

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा / माध्य / अ—४ / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2022—23

दिनांक : ०८/०७/२०२२

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)—माध्यमिक  
उदयपुर।

**विषय :** राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धावड़िया, ग्राम पंचायत—धावड़िया, ब्लॉक—सराड़ा, जिला—उदयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

**प्रसंग :** शासन का पत्रांक : प. ४(६)शिक्षा—१ / ब.घो.सं. ११ / २०२२—२३ / २०२२ जयपुर,  
दिनांक ०४.०६.२०२२ एवं २८.०६.२०२२

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022—23 की घोषणा संख्या २८(३) की अनुपालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धावड़िया, ग्राम पंचायत—धावड़िया, ब्लॉक—सराड़ा, जिला—उदयपुर (यूडाईस कोड—०८२६०९०६३०१) को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


यह स्वीकृति वित (व्यय—१) विभाग की आईडी संख्या 102202834 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

**शर्त :-**

- विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2022—23 से प्रारम्भ होगा।
- स्वीकृति के वर्ष सुविधान्तर्गत कक्षा ०९ व १० एवं आगामी कक्षों में क्रमशः कक्षा—११वीं एवं १२वीं प्रारम्भ की जा सकेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित ०५ प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—गा को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित परिवर्तन जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड—गा लेवल—१ व लेवल—२ के ऐसे अध्यापक जिनका ६ड़ी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड—गा लेवल—१ व लेवल—२ के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में ३ बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक ६ डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भाँति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत ३ ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या ६.१ के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।

२७

10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबाड़, एम.पी. एल.ए.डी., एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

  
(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परियोजना जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-ए) विभाग, जयपुर को उनके प्रासारण पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री पर संचालित नहीं है, अतः इन्हें संस्थान/अद्यतन करने का श्रम करावें।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्यालय)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक/स्कूल शिक्षा, उदयपुर संग्राम।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, उदयपुर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, सराढ़ा(उदयपुर)।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन—एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-१ को पदों के सांबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय बोर्डसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

  
उपनिदेशक(माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर